भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2776

18 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

दिल्ली-एनसीआर में ठोस कचरा प्रबंधन और लैंडफिल उपचार

2776 श्रीमती संगीता यादवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान में कार्यशील लैंडफिल की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश भर में, विशेष रूप से दिल्ली में, पुराने लैंडफिल का वैज्ञानिक प्रबंधन करने या उन्हें बंद करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है जहाँ कचरा एक साईट से दूसरी साईट पर डाला (डंप किया) जा रहा है, यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन और लैंडफिल उपचार के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): दिल्ली-एनसीआर में 329.99 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) (लगभग) कचरे वाले कुल 7 पुराने डंपसाइटों की पहचान निपटान के लिए की गई है, जिनमें दिल्ली में 3 डंपसाइट (274.57 लाख मीट्रिक टन) और गुरुग्राम (44.99 लाख मीट्रिक टन), नोएडा (1 लाख मीट्रिक टन), ग्रेटर नोएडा (6.72 लाख मीट्रिक टन) और गाजियाबाद (2.71 लाख मीट्रिक टन) में एक-एक डंपसाइट शामिल हैं। अब तक, 4 डंपसाइटों का निपटान कार्य पूरा हो चुका है और कुल 162.58 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया जा चुका है।

(ख) और (ग): संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए शक्ति का हस्तांतरण शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को किया गया है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और संचालित करना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) पर नियमावली/मानक प्रक्रिया (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशा-निर्देश जारी करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सुरक्षित स्वच्छता, कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन और पुराने डंपसाइटों के निपटान के माध्यम से शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। विगत कई वर्षों से बने इन पुराने डंपसाइटों को हटाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। पहली बार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इन कूड़े के ढेरों को हटाने का कार्य शुरू किया गया है।

एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 3 शहरी स्थानीय निकायों में 253.75 एलएमटी पुराने कचरे के निपटान के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लागत 1395.63 करोड़ रुपये है, जिसमें 1116.50 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश शामिल है, जिसमें से 586.58 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश अब तक जारी किया जा चुका है।

(घ): भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू 2.0) के एसडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत केंद्रीय अंश की सहायता के रूप में ₹10930.12 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से अब तक ₹9439.85 करोड़ की केंद्रीय अंश की राशि कार्ययोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें देश भर में 1925.73 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निपटान के लिए अनुमोदित ₹4181.13 करोड़ का केंद्रीय अंश शामिल है।
